



2026:AHC:125623-DB

10.03.2026 को सुरक्षित

05.06.2026 को पारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अंतर्गत अपील दोषपूर्ण संख्या - 50 वर्ष  
2025

मुख्य अभियंता (रामगंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग व 2 अन्य .....अपीलार्थीगण

बनाम

मेसर्स एस.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : अमित सक्सेना, अपर महाधिवक्ता, राजीव सिंह, स्थायी  
अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : नवीन सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में कल्पना सिन्हा,  
राघव नागर, उत्कर्ष श्रीवास्तव

कक्ष में

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

(द्वारा: अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

1. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 ('अधिनियम') की धारा 37 के अंतर्गत यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट दिनांक 10.07.2019 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. अपील 38 दिनों से परिसीमा-वर्जित है।

3. अपीलार्थीगण द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा करने की मांग करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ इस कथन के साथ आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय दिनांक 05.10.2024 को सुनाया गया था और यह अपीलार्थी संख्या 2 के कार्यालय में दिनांक 21.10.2024 को प्राप्त हुआ था। जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) ने निर्णय को चुनौती देने के लिए दिनांक 16.10.2024 को अपनी राय दी थी। दिनांक 05.12.2024 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता से विधिक राय प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो दिनांक 09.12.2024 को प्रदान की गई थी। दिनांक 13.12.2024 को उच्चाधिकारियों से स्वीकृति मांगी गई थी, जिसमें विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श के पश्चात, दिनांक 13.01.2025 को संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने अपील दाखिल करने की अनुमति प्रदान की। दिनांक 15.01.2025 को मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने मामले को स्थायी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अधिवक्ता को आवंटित किया, जिन्होंने विलंब के लिए स्पष्टीकरण मांगा, जो प्रदान कर दिया गया। जिसके पश्चात, बिना किसी अतिरिक्त विलंब के दिनांक 18.01.2025 को अपील दाखिल कर दी गई है।

4. यह तर्क दिया गया कि अपील उचित परामर्श और अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, बिना किसी अनुचित विलंब और शिथिलता के दाखिल की गई है और इसलिए, अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाए।

5. विलंब क्षमा आवेदन पर एक उत्तर दाखिल किया गया है जिसमें उठाए गए आधार पर प्रश्न उठाया गया है और इसे पर्याप्त कारण मानने से इनकार करते हुए कहा गया है कि यह केवल अपील दाखिल करने की अनुमति मांगने में सुस्ती और लालफीताशाही को दर्शाता है।

6. आगे यह तर्क दिया गया कि पंचाट और अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन के ख रिज होने के बावजूद, अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

7. अपीलार्थीगण द्वारा विलंब क्षमा आवेदन में किए गए कथनों को दोहराते हुए एक प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

8. शपथपत्र के साथ प्रस्तुत आवेदन तथा प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का परिशीलन करने के पश्चात, स्पष्ट रूप से विलंब केवल अनुमति प्राप्त करने के कारण हुआ है और इंगित पिछली घटनाओं में कोई अनुचित विलंब या अंतराल नहीं रहा है, जिसे शिथिलता कहा जा सके तथा 38 दिनों के अपेक्षाकृत कम विलंब को देखते हुए, हम पाते हैं कि अपीलार्थीगण ने अपील दाखिल करने में हुए विलंब की क्षमा हेतु उचित आधार बनाया है।

9. अपील दाखिल करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

10. कुछ दिनों की अवधि के दौरान अपील के गुण-दोष पर पक्षकारों को सुना गया।

11. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि उमरहाट पंप नहर परियोजना, द्वितीय चरण के निर्माण हेतु पक्षकारों के मध्य दिनांक 26.03.2011 को ₹57.75 करोड़ की कुल लागत से अनुबंध निष्पादित किया गया था और कार्य को दिनांक 25.03.2013 तक पूर्ण किया जाना था। दिनांक 02.03.2013 को समय विस्तार मांगा गया और समय 25.09.2013 तक बढ़ा दिया गया। दिनांक 17.09.2013 को प्रत्यर्थी ने एक पत्र भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध की अवधि के दौरान अपीलार्थीगण की ओर से किए गए चूक और गलतियों के विभिन्न कृत्यों तथा कथित कमियों को इंगित किया गया और बकाया राशि व मुआवजे के भुगतान की मांग की गई। इसके अतिरिक्त, यह इंगित किया गया कि कार्य को उस स्तर पर अंतिम माना जाए और प्रतिभूति जारी की जाए, जिसे अपीलार्थीगण द्वारा अनुबंध का समयपूर्व समापन कहा गया है।

12. स्पष्ट रूप से, दिनांक 17.09.2013 के पत्र से अनभिज्ञ रहते हुए, अपीलार्थीगण ने दिनांक 03.10.2013 को अनुबंध की शर्त 2(A) का पालन करने में विफलता का आरोप लगाते हुए और स्वयं को अनुबंध राशि के 10% के बराबर मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाते हुए दिनांक 26.03.2011 के अनुबंध को विखंडित करने का पत्र भेजा। इससे व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने अनुबंध समझौते के खंड 34A(3) के अनुसार विवाद को मध्यस्थ को संदर्भित करने की मांग की।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



13. सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, एकमात्र मध्यस्थ श्री ए.पी. अग्रवाल के समक्ष विभिन्न मदों के तहत 11 दावे करते हुए दावा विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रतिरक्षा विवरण दाखिल किया गया। जिसके पश्चात, मध्यस्थ ने दावा संख्या 7, 8 और 9 को छोड़कर शेष दावों को स्वीकार करते हुए दिनांक 10.07.2019 को पंचाट पारित किया और प्रत्यर्थी को ₹3,40,55,718/- का भुगतान करने का निर्देश दिया तथा यदि राशि का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं किया गया, तो पंचाट की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 8.5% प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज का आदेश दिया गया।
14. व्यथित होकर, अपीलार्थीगण ने वाणिज्यिक न्यायालय, कानपुर नगर के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया, जिसने मामले को वाणिज्यिक न्यायालय, मेरठ को स्थानांतरित कर दिया।
15. वाणिज्यिक न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 17.09.2013 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी ने अनुबंध का पालन करने से इनकार नहीं किया था और चूंकि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 03.10.2013 के पत्र द्वारा अनुबंध समाप्त किया गया था और समय अनुबंध का मूल तत्व नहीं था, अतः आक्षेपित पंचाट में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन खारिज कर दिया। व्यथित होकर, वर्तमान अपील दाखिल की गई है।
16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण अधिनियम की धारा 34 और 37 के सीमित दायरे को देखते हुए संभवतः गुण-दोष के आधार पर पंचाट पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, हालांकि, उन्होंने मध्यस्थ अधिकरण द्वारा अनुबंध को समाप्त करने की मांग करने वाले प्रत्यर्थी के दिनांक 17.09.2013 के पत्र के प्रभाव और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 ('अधिनियम, 1872') की धारा 39 के आलोक में इसके निहितार्थ पर विचार न किए जाने तथा उक्त पहलू पर वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा विकृत निष्कर्ष दिए जाने से संबंधित मुद्दा उठाया।
17. यह तर्क दिया गया कि दिनांक 17.09.2013 के पत्र की भाषा बहुत स्पष्ट और विशिष्ट थी जिसमें यह मांग की गई थी कि 17.09.2013 तक कार्य को अंतिम माना जाए जब केवल 5.7% कार्य निष्पादित हुआ था और प्रतिभूति राशि जारी करने की मांग की गई थी, जो आचरण पालन करने से इनकार करने के समान है और परिणामस्वरूप, अधिनियम, 1872 की धारा 39 के अनुसार अपीलार्थीगण अपने दिनांक 03.10.2013 के पत्र द्वारा अनुबंध को समाप्त करने में न्यायोचित थे और इसलिए, किया गया दावा केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य था।
18. प्रिवी काउंसिल के निर्णय मुरलीधर चटर्जी बनाम इंटरनेशनल फिल्म कंपनी लिमिटेड : (1943) आईएलआर 2 सीएएल 213 पर भरोसा जताया गया।
19. आगे यह तर्क दिया गया कि मध्यस्थ की नियुक्ति अधिनियम की धारा 12(5) के उल्लंघन में थी और उस संक्षिप्त आधार पर पंचाट अपास्त किए जाने योग्य था।
20. यह तर्क दिया गया कि सप्तम अनुसूची के साथ पठित अधिनियम की धारा 12(5) इस विधिक स्थिति की संकल्पना करती है कि विवाद में शामिल किसी पक्षकार का कर्मचारी मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य है और इसके अतिरिक्त ऐसा पक्षकार अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को अधित्यक्त करने के लिए लिखित में एक स्पष्ट समझौते के अभाव में किसी अन्य व्यक्ति को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मध्यस्थ के रूप में नामित या नियुक्त नहीं कर सकता है। वर्तमान मामले में, लिखित समझौते के माध्यम से स्पष्ट अधित्यजन के अभाव में, ऐसी नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य होगी और मध्यस्थता कार्यवाही में भागीदारी या अन्यथा किसी भी प्रकार की मौन सहमति को अधिनियम की धारा 12(5) के परंतुक की सीमा को पूरा करने वाला नहीं माना जा सकता है।

21. यह प्रस्तुत किया गया कि अनुबंध के खंड 34ए(3) के अनुसार, मध्यस्थता खंड यह प्रावधान करता था कि विवाद मुख्य अभियंता या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति की मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा और मुख्य अभियंता ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री ए.पी. अग्रवाल को मध्यस्थ के रूप में नामित किया था। वर्तमान मामले में अपने परंतुक सहित अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान के लिए लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता के अधित्यजन की स्पष्ट रूप से आवश्यकता थी और इसके अभाव में, मध्यस्थ की नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य थी।

22. आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि यह आधार न तो मध्यस्थ के समक्ष उठाया गया था और न ही वर्तमान अपील ज्ञापन में, किंतु चूंकि यह नियुक्ति की अमान्यता की ओर ले जाता है और मामले की जड़ तक जाता है, अतः इसे सदैव उठाया जा सकता है।

23. भद्रा इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य बनाम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया : **2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 7 और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड : (2019) एससीसी 755** पर भरोसा जताया गया।

24. यह प्रार्थना की गई कि मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट के साथ-साथ वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भी अपास्त किए जाने योग्य है।

25. प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल अपील में कोई सार नहीं है क्योंकि वे मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट और वाणिज्यिक न्यायालय के निर्णय के गुण-दोष पर कोई मुद्दा उठाने में विफल रहे हैं और अब ऐसे मुद्दे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मध्यस्थ और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष नहीं उठाए गए थे।

26. यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण की ओर से यह दावा करना अत्यंत अनुचित है कि उनके द्वारा स्वयं की गई नियुक्ति अधिनियम की सप्तम अनुसूची के साथ पठित धारा 12(5) के प्रावधान के विपरीत है। इस बात पर बल दिया गया कि किसी भी स्तर पर प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए मध्यस्थ के क्षेत्राधिकार पर प्रश्न नहीं उठाया गया था अर्थात् मध्यस्थता के दौरान, अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में और वर्तमान अपील ज्ञापन में तथा केवल अंतिम उपाय के रूप में, प्रत्यर्थी को उसके वास्तविक दावे से वंचित करने के लिए, यह आधार उठाया गया है।

27. इस बात पर आगे बल दिया गया कि स्वयं मध्यस्थ नियुक्त करने के उपरांत, यह आधार उपलब्ध नहीं है और वर्तमान प्रकृति का आधार केवल प्रत्यर्थी द्वारा उठाया जा सकता था और इसलिए, उक्त आधार पर अपील खारिज किए जाने योग्य है।

28. आगे यह तर्क दिया गया कि अधिनियम, 1872 की धारा 39 का प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है क्योंकि दिनांक 17.09.2013 के पत्र को अनुबंध को समाप्त करने वाला नहीं कहा जा सकता है और चूंकि समय विस्तार 25.09.2013 को समाप्त हो गया था, जो कि वास्तव में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



दूसरा विस्तार था क्योंकि पहला विस्तार 26.05.2013 तक दिया गया था, अतः अनुबंध की समाप्ति के बाद विखंडन नहीं हो सकता था।

29. यह तर्क दिया गया कि कुछ दावों पर कोई चुनौती नहीं दी गई है और वाणिज्यिक न्यायालय ने पूरे पंचाट की जांच करने के पश्चात, मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट को बरकरार रखा है जिसे अपील में चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है। मध्यस्थ नियुक्त करने वाले अपीलार्थीगण द्वारा पारित आदेश का संदर्भ दिया गया और कहा गया कि प्रासंगिक चरण में नियुक्ति को चुनौती देने में विफलता पर, अब अपीलार्थीगण के लिए यह मुद्दा उठाना खुला नहीं है।

30. यह प्रार्थना की गई कि अपील खारिज की जाए।

31. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान के उल्लंघन में की गई कार्रवाई प्रारंभ से ही शून्य होने के कारण, इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा सदैव उठाया जा सकता है और इसलिए इस संबंध में उठाए गए आधार में कोई सार नहीं है।

32. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

33. पक्षकारों के बीच प्रासंगिक मध्यस्थता खंड को उद्धृत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:—

"खंड 34 A (3) : प्रत्येक विवाद, मतभेद या प्रश्न जो इस विलेख या इसके विषय-वस्तु के संबंध में या उससे उत्पन्न होकर पक्षकारों या उनके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है, मुख्य अभियंता या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति की मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर यह कोई आपत्ति नहीं होगी कि इस प्रकार नियुक्त किया गया मध्यस्थ एक सरकारी सेवक है जिसे उस मामले से निपटना था जिससे अनुबंध संबंधित है और उसने सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए हैं। मध्यस्थ, जिसे मामला मूल रूप से संदर्भित किया गया है, के स्थानांतरित होने या अपना पद रिक्त करने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में मुख्य अभियंता या तो स्वयं संदर्भ ग्रहण करेंगे या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, ऐसा व्यक्ति उस चरण से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जहाँ उसके पूर्ववर्ती द्वारा इसे छोड़ा गया था। पूर्वोक्त रूप से नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से यह संभव नहीं है तो मामला मध्यस्थ को बिल्कुल भी संदर्भित नहीं किया जाएगा। यह इस अनुबंध की एक शर्त है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्षकार ऐसे प्रत्येक विवाद के संबंध में दावा की गई राशि या राशियों के साथ प्रस्तुत करेगा।

पूर्वोक्त के अधीन मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1940 के प्रावधान या उसका कोई वैधानिक संशोधन या पुनरधिनियमन और उसके तहत बनाए गए नियम तथा उस समय लागू नियम मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

मध्यस्थ समय-समय पर पक्षकारों की सहमति से पंचाट बनाने और प्रकाशित करने का समय बढ़ा सकता है।"

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



34. मध्यस्थता खंड के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह मुख्य अभियंता या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करता है। इसने आगे यह प्रावधान किया कि संविदाकार को नियुक्ति में कोई आपत्ति नहीं होगी यदि मध्यस्थ एक सरकारी सेवक है जिसे उस मामले से निपटना था जिससे अनुबंध संबंधित है। आगे मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (यद्यपि 1940 के रूप में इंगित) के प्रावधान लागू किए गए हैं।

35. अधिनियम की धारा 12 के प्रावधान, जो खंड (5) के तहत चुनौती के आधारों से संबंधित हैं, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान करते हैं:—

"12(5) इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकार या अधिवक्ता या विवाद के विषय-वस्तु के साथ संबंध सप्तम अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।

परंतु यह कि पक्षकार, उनके बीच विवाद उत्पन्न होने के पश्चात, लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को अधित्यक्त कर सकते हैं।"

36. खंड (5) में संदर्भित सप्तम अनुसूची पक्षकारों या अधिवक्ता के साथ मध्यस्थ के संबंधों का वर्णन करती है जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं।

37. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी ने अपने दिनांक 10.02.2018 के शपथपत्र द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसमें यह इंगित किया गया है कि दिनांक 04.12.2017 को अपीलार्थीगण से प्राप्त पत्र के क्रम में प्रत्यर्थी ने मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु तीन नाम प्रस्तुत किए थे। दिनांक 11.01.2018 को दिनांक 04.12.2017 के पत्र के अनुसार उन नामों को दोहराते हुए मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था, जिन्हें अपीलार्थीगण द्वारा मांगा गया था, जिसके आधार पर मुख्य अभियंता ने पत्र दिनांक 20.01.2018 के माध्यम से उत्तरदाता कंपनी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री ए.पी. अग्रवाल को नियुक्त करने की कार्यवाही की।

38. नियुक्ति आदेश दिनांक 20.01.2018 निम्नानुसार पढ़ा जाता है:—

"कार्यालय मुख्य अभियन्ता (रामगंगा)

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर

पत्रांक: /मु०अ०/रामगंगा/आर्बिट्रेशन दिनांक : जनवरी 20, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अधीक्षण अभियन्ता, बैराज निर्माण मण्डल, कानपुर के अधीनस्थ बैराज निर्माण खण्ड-2, कानपुर के नियंत्रणाधीन उमरहाट पम्प नहर परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत गठित अनुबन्ध संख्या 03/एस०ई०/10-11 में आर्बिट्रेटर बदलवाने हेतु मै० एस०एस०कन्स्ट्रक्शन, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 04-12-2017 द्वारा किये गये अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अनुबन्ध हेतु नामित आर्बिट्रेटर अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, कानपुर के आदेश को अतिक्रमित करते हुए आर्बिट्रेशन एक्ट के प्राविधानानुसार श्री ए०पी०अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, कॉ-आर्बिट्रेटर, निवासी डी-76, साकेत, मेरठ पिनकोड-250003 को इस शर्त के साथ आर्बिट्रेटर नामित किया जाता है कि उक्त आदेश श्री ए०पी०अग्रवाल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, निवासी डी-76, साकेत, मेरठ द्वारा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सहमति के उपरान्त ही मान्य होगा। यदि इनकी सहमति 15 दिवस के अन्दर प्राप्त नहीं होता है तो उक्त आदेश स्वतः समाप्त माना जायेगा।

विनोद कुमार त्रिपाठी

मुख्य अभियन्ता (रामगंगा)"

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीआरएफ लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड : (2017) 8 एससीसी 377 में अधिनियम की धारा 12(5) के अनुसार यह निर्धारित किया है कि एक बार जब मध्यस्थता खंड के अनुसार नामित मध्यस्थ विधि के प्रवर्तन द्वारा अयोग्य हो जाता है, तो वह मध्यस्थ के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता है और अधित्यजन केवल अधिनियम की धारा 12(5) के परंतुक के अनुसार ही हो सकता है।

40. वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से मध्यस्थता खंड में नामित मध्यस्थ मुख्य अभियन्ता हैं और इस प्रकार, उनका नामित व्यक्ति भी अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान द्वारा शासित होगा।

41. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी का यह मामला नहीं है कि किसी भी समय, पक्षकारों के बीच अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता का अधित्यजन प्रदान करने वाला कोई स्पष्ट लिखित समझौता हुआ था।

42. जहां तक मध्यस्थ/वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुद्दे न उठाने के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए आधार का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भद्रा इंटरनेशनल (सुप्रा) के मामले में इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

"सी. कार्यवाही के किसी भी चरण में मध्यस्थ की अयोग्यता को चुनौती

113. मध्यस्थ की अयोग्यता को चुनौती किसी भी चरण में उठाई जा सकती है क्योंकि ऐसी परिस्थिति में पारित पंचाट अस्तित्वहीन होता है, अर्थात् यह विधि में कोई प्रवर्तनीयता या मान्यता नहीं रखता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मध्यस्थ के पास पंचाट पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। मध्यस्थता में, पक्षकार एक वैध मध्यस्थता समझौते और अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार की गई नियुक्ति के आधार पर अधिकरण में क्षेत्राधिकार निहित करते हैं। यह क्षेत्राधिकार पक्षकारों की सहमति पर आधारित है जैसा कि इस निर्णय के पूर्वगामी प्रस्तरों में समझाया गया है।

114. इस संदर्भ में, क्षेत्राधिकार का अर्थ मामले के गुण-दोष को प्रभावित करने वाला निर्णय देने के लिए एक मध्यस्थ अधिकरण का प्राधिकार है। एक मध्यस्थ जिसके पास क्षेत्राधिकार का अभाव है, वह गुण-दोष के आधार पर पंचाट नहीं दे सकता। किसी भी संदेह को दूर करने और स्पष्टता प्रदान करने की दृष्टि से, हम यह टिप्पणी करना उचित समझते हैं कि मध्यस्थ अधिकरण का क्षेत्राधिकार विवाद की ग्राह्यता, अर्थात् दावों की मध्यस्थता-योग्यता से भिन्न है।

115. मध्यस्थ अधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब अधिकरण कोई भी निर्णय देने के लिए मौलिक रूप से अक्षम हो। दूसरे शब्दों में, क्षेत्राधिकार का प्रश्न किसी मामले की सुनवाई करने की अधिकरण की क्षमता से संबंधित है, जबकि ग्राह्यता के प्रश्न यह पूर्वधारणा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रखते हैं कि अधिकरण के पास क्षेत्राधिकार है। एक मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट जिसके पास क्षेत्राधिकार नहीं है, मध्यस्थ के प्राधिकार पर ही प्रहार करता है।

**116.** इस न्यायालय ने निर्णयों की श्रृंखला में अभिनिर्धारित किया है कि डिक््री की वैधता को निष्पादन कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है यदि ऐसी डिक््री पारित करने वाले न्यायालय के पास विवाद पर विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार का अभाव था। क्योंकि क्षेत्राधिकार के बिना न्यायालय द्वारा पारित डिक््री मामले की जड़ तक जाती है। क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निर्णय अधिकारहीन होगा, क्योंकि कोई न्यायालय स्वयं को क्षेत्राधिकार नहीं दे सकता। पक्षकारों का कोई भी कृत्य क्षेत्राधिकार के अंतर्निहित अभाव को ठीक नहीं कर सकता।

.....

### VIII. निष्कर्ष

**123.** अधिनियम, 1996 की धारा 12 के संबंध में विधि की स्थिति पर पूर्वोक्त विस्तृत चर्चा का सार निम्नानुसार है:—

i. ....

ii. ....

iii. ....

iv. ....

v. मध्यस्थता में, पक्षकार एक वैध मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में अपनी सहमति का प्रयोग करके अधिकरण में क्षेत्राधिकार निहित करते हैं। एक मध्यस्थ जिसके पास क्षेत्राधिकार का अभाव है, वह गुण-दोष के आधार पर पंचाट नहीं दे सकता। अतः, क्षेत्राधिकार के अंतर्निहित अभाव की आपत्ति कार्यवाही के किसी भी चरण में ली जा सकती है।"

43. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि आपत्ति किसी भी चरण में उठाई जा सकती थी और इसलिए, मध्यस्थ के समक्ष या धारा 34 के आवेदन में उक्त मुद्दा न उठाने के कारण, उठाए गए आधार की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

44. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उस पक्षकार के कहने पर, जिसने स्वयं मध्यस्थ नियुक्त किया है, मध्यस्थ की पात्रता के संबंध में वर्तमान प्रकृति के आधार की जांच की जा सकती है।

45. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त पहलू पर विचार करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:—

"यह स्थिति होने पर, आक्षेपित निर्णय तब सही नहीं है जब यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिनियम की धारा 4, धारा 7, धारा 12(4), धारा 13(2) और धारा 16(2) को लागू करता है, और आगे यह कहता है कि अपीलार्थी को स्वयं मध्यस्थ नियुक्त करने के उपरांत मध्यस्थ की पात्रता का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अपील के अधीन निर्णय यह कहने में भी गलत

### अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हैं कि इस तथ्य से लिखित में स्पष्ट अधित्यजन है कि अपीलार्थी द्वारा एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, और प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष दावा विवरण दाखिल किया गया है।"

(बल दिया गया)

46. दिल्ली उच्च न्यायालय ने महावीर प्रसाद गुप्ता एंड संस बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार : 2025 एससीसी ऑनलाइन डेल 4241 में अन्य बातों के साथ-साथ उक्त पहलू पर विचार करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:—

"81. तदनुसार, जिस पक्षकार ने एकतरफा मध्यस्थ नियुक्त किया है, उसे नियुक्ति के कृत्य द्वारा मध्यस्थ की अयोग्यता को लिखित रूप में अधित्यक्त करने के लिए सहमत नहीं माना जा सकता है। जब अधिनियम की सप्तम अनुसूची के साथ पठित अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधानों के तहत नियुक्ति स्वयं में अयोग्य है, तो यह पक्षकारों के बीच अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को अधित्यक्त करने के लिए लिखित में स्पष्ट समझौते के अभाव में मात्र इसलिए कि उस पक्षकार ने नियुक्ति की थी, ऐसी नियुक्ति को चुनौती देने के पक्षकार के अधिकार को नहीं छीनता है।

82. अतः, जिस पक्षकार ने एकतरफा मध्यस्थ नियुक्त किया है, उसे ऐसी नियुक्ति पर आपत्ति करने का अधिकार है, भले ही उस पक्षकार ने स्वयं मध्यस्थ की नियुक्ति की हो। लिखित में नियुक्ति करने का मात्र तथ्य अयोग्य नियुक्ति को एक वैध नियुक्ति नहीं बनाएगा जब तक कि ऐसी अयोग्यता को अधित्यक्त करने वाला लिखित में स्पष्ट समझौता न हो।

83. यद्यपि यह निष्कर्ष प्रतीत नहीं होता है, फिर भी एकमात्र या पीठासीन मध्यस्थ को एकतरफा नियुक्त करने वाला पक्षकार इस आधार पर पंचाट को चुनौती दे सकता है कि पंचाट अधिनियम की सप्तम अनुसूची के साथ पठित धारा 12(5) के उल्लंघन में दिया गया है, इसके बावजूद कि उक्त पक्षकार ने स्वयं ऐसी नियुक्ति की थी। जब मध्यस्थ अधिकरण के पास कार्य करने के क्षेत्राधिकार का अंतर्निहित अभाव था, तो मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य होती है, जिससे पंचाट अप्रवर्तनीय हो जाता है, भले ही किसी भी पक्षकार ने ऐसी एकतरफा नियुक्ति की हो। अधिनियम की सप्तम अनुसूची के आधार पर मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए वस्तुतः अयोग्य एकमात्र या पीठासीन मध्यस्थ द्वारा एकतरफा रूप से नियुक्त की गई मध्यस्थता कार्यवाही और पंचाट प्रारंभ से ही शून्य हैं। अधिनियम की धारा 12(5) के परंतुक के तहत अधित्यजन स्पष्ट होना चाहिए और पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने के पश्चात होना चाहिए। अतः, जिस पक्षकार ने एकमात्र या पीठासीन मध्यस्थ को एकतरफा नियुक्त किया था, वह भी ऐसी अयोग्यता के आधार पर अधिनियम की धारा 34 के तहत पंचाट को चुनौती दे सकता है।"

47. उक्त निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका, जो एसएलपी (सिविल) संख्या 24207 / 2025 है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2026 को खारिज कर दी गई है।

48. भद्रा इंटरनेशनल (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:—

"89. उपरोक्त चर्चा से जो समझा जा सकता है वह यह है कि मध्यस्थ की अयोग्यता को केवल लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा ही अधित्यक्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विवाद उत्पन्न होने के पश्चात, एकमात्र मध्यस्थ की अयोग्यता या अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के तहत आपति करने के अधिकार को अधित्यक्त करने वाला लिखित में कोई समझौता नहीं है।

90. पक्षकारों का आचरण अप्रासंगिक है और परंतुक के तहत एक वैध अधित्यजन का गठन नहीं करता है। लिखित में समझौते के रूप में स्पष्ट रूप से किए जाने वाले अधित्यजन की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि पक्षकार अनजाने में या प्रक्रियात्मक संयोग से आपति करने के अपने अधिकार से वंचित न हों।"

49. उपरोक्त तथ्यात्मक और विधिक पृष्ठभूमि के आलोक में, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ श्री ए.पी. अग्रवाल की नियुक्ति अधिनियम की धारा 12(5) के प्रावधान से बाधित थी, पक्षकारों के बीच लिखित में उक्त प्रावधान की प्रयोज्यता का कोई स्पष्ट अधित्यजन नहीं है, अपीलार्थीगण मध्यस्थ नियुक्त करने के बावजूद उक्त पहलू को उठा सकते थे और चूंकि मध्यस्थ की अयोग्यता मामले की जड़ तक जाती है, अतः उक्त पहलू को किसी भी चरण में उठाया जा सकता था जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भद्रा इंटरनेशनल (सुप्रा) के मामले में निर्धारित किया गया है और परिणामस्वरूप, अयोग्य एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित मध्यस्थता पंचाट को कायम नहीं रखा जा सकता है।

50. जहां तक अधिनियम, 1872 की धारा 39 से संबंधित अपीलार्थीगण द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का प्रश्न है, हमारे द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष के आलोक में कि मध्यस्थ मामले से निपटने के लिए अयोग्य था, उक्त पहलू स्वतः गौण हो जाता है।

51. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2024 अपास्त किया जाता है। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित पंचाट दिनांक 10.07.2019 भी अपास्त किया जाता है।

52. पक्षकारों के लिए विधि के अनुसार नई मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने का विकल्प खुला रहेगा।

53. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

05 जून, 2026

एनडी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"